सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 247/18 निर्णय दिनांकः 25.07.2019

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू
2. हनुमानराम पुत्र गणपतराम जाति बिश्नोई निवासी फतूवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. चेनाराम पुत्र ईश्वरराम जाति कुम्हार निवासी दाऊजी का मन्दिर, कुम्हारों का मौहल्ला, सीटी कोतवाली, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13–10–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक
2. श्री हरिराम बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट् संख्या 2
3. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडन्ट्

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 13–10–2017 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को आवंटित व अपीलांट संख्या 2 की पुश्तैनी भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक व अभिभाषक अपीलांट् ने कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सन् 1985 में बतौर भूमिहीन आवेदन करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 05—11—1998 को 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए सर्वप्रथम दिनांक 13—05—2002 को चक 1 एमकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 238/25 में 24 बीघा 05 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि पूर्व से अन्य को आवंटित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को पुनः चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 196/36 की 24 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि भी आबादी में आरक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से चक 2 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 214/03 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया। उक्त आवंटन से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई ना ही आवंटन हेतु प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत ही किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति यह है कि उक्त भूमि पूर्व में भूतपर्वू सैनिक को आवंटित व अपीलांट संख्या 2 के कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि नहीं होते हुए भी मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी गिरधारीराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा उसी दिन आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही आवंटन नियमों को ताक पर रखते हुए की गई है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा चक 2 एमआरएम के मुरब्बा नम्र 214/3 के आवंटन की कोई मांग ही नहीं की गई थी। किसी तीसरे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र उक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। पूर्व में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेन्ट को 22 बीघा भूमि का पात्र धोषित किया गया था जबकि आदेश जैर अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट को 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया

जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से किये गये आवंटन में आवंटित भूमि की कीमत भी नहीं दशाई गई है जबकि आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाता है कि आवंटित भूमि किस दर पर आवंटित की गई है तथा किस रूप में उक्त राशि वसूल की जानी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन—फानन में उपरोक्त आवंटन किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

इसप्रकार तमाम तथ्यों से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम प्रकियाओं का उल्लंधन करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व आवंटन प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा व कानून विरूद्व आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को सर्वप्रथम दिनांक 05—11—1998 को 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए दिनांक 13—05—2002 को चक 1 एमकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 238/25 में 24 बीघा 05 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति देवीसिंह पुत्र भैरूसिंह व श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी देवीसिंह को आवंटित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 196/36 की 24 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट आवंटित भूमि आबादी हेतु आरक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से चक 2 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 214/03 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त आवंटन किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के बाबत् नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार नकल जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि आराजीराज दर्ज होने, विवादरहित होने व किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवंटन पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया है। प्रकरण में जहॉ तक राज्य सरकार का यह कथन कि उक्त भूमि भूतपूर्व सैनिक को आवंटित भूमि होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19—12—2007 भूतपूर्व सैनिक/प्रार्थी भगवानसिंह पुत्र मानसिंह की आवंटन आदेश जारी होने से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान का विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण दिनांक 19—06—2004 को किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में स्टेट के इस कथन को बल प्राप्त नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को आवंटित भूमि होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि जहॉ तक अपीलांट्स हनुमानराम का वादग्रस्त भूमि से संबंध का प्रश्न है, अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। यदि अपीलांट् हनुमानराम के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा है तब भी वे मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत ही वादग्रस्त भूमि पर रखते है तथा किसी अतिकम्री को उपरोक्त भूमि पर कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलांट्स द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के आवंटन को निरस्त करवाने के उद्वेश्य मात्र से उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जिसकी उन्हें लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील लोकस स्टेण्डाई के साथ—साथ गुणावगुण के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे व आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—10—2017 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 11—06—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अकस्मात् रूप से पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की जानकारी संभव नहीं थी। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में जहॉ तक अपीलांट् हनुमानराम का वादग्रस्त भूमि से सरोकार का प्रश्न है, अपीलांट् हनुमानराम वादग्रस्त भूमि से किस प्रकार प्रभावित है, साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपीलांट् हनुमानराम की हद तक प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट चेनाराम को दिनांक 08—08—2002 को चक 1 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 238/25 की भूमि का आवंटन हुआ था, परन्तु आगामी 13 साल तक उसने कब्जा नहीं लिया तथा न ही इस मुरब्बें को देवीसिंह नाम के आवेदक को आवंटित हो जाने के आदेश की अपील की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा दुबारा दिनांक 16—03—2015 को आवेदन करने पर दिनांक 22—11—2016 को चक 1 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 196/39 का आवंटन किया गया। रेस्पोडेन्ट ने उक्त आवंटन को अमल दरामद करवाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया तथा किसी हरीशचन्द्र की दरखवाश्त पर पटवारी द्वारा की गई टिप्पणी को आधार बनाकर दुबारा आवंटित मुरब्बा नम्बर 196/39 आबादी प्रस्तावित होने के कारण तीसरी बार मुरब्बा नम्बर 214/3 में आवंटन के लिये दिनांक 12—10—2017 को किसी गिरधारीराम से दरखवाश्त पेश करवा दी। गिरधारीराम की दरखवाश्त पर अगले दिन दिनांक 13—10—2017 को पटवारी ने चक 1 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 214/3 रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने की रिपोर्ट करवा ली तथा इसी दिन रेस्पोडेन्ट चेनाराम के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिये गये।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22—03—2017 सरकार बनाम सज्जनकंवर आदि में स्पष्ट निर्देश है कि किसी भूतपूर्व सैनिक के आवंटन के उपरान्त विभागीय अधिकारियों द्वारा आवंटन कार्यवाही पूर्ण करने से प्रार्थी आवेदक की मृत्यु होने पर उसके वारिसों द्वारा शेष कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। विवादति मुरब्बा नम्बर 214/3 के लिये भूतपूर्व सैनिक भगवानसिंह का आवंटन प्रकरण लम्बित था, जिस पर आवंटन अधिकारी ने गौर नहीं किया। आवंटन अधिकारी ने तहसील कार्यालय के रिकार्ड का भलींभांति अवलोकन किये बिना तथा आवंटन सलाहकार समिति की राय लिये बिना मनमानीपूर्ण तरीके से रेस्पोडेन्ट चेनाराम के पक्ष में आवंटन आदेश जारी करने में घोर अनियमितता की है तथा आवश्यक कानूनी प्रावधानों को बदनियति से नजरअंदाज किया है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् राज्य सरकार की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—10—2017 अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर